



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [jdplan.cce@gmail.com](mailto:jdplan.cce@gmail.com) Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ4(162-II)/विधि/आयो/आकाशि/2015-16/1444

दिनांक : 03/03/2021

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 की अनुपालना में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.08.2020 द्वारा राज्याधीन किये गये 05 स्ववित्तपोषित व 04 निजी महाविद्यालयों का नामकरण निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	महाविद्यालय का वर्तमान नाम	महाविद्यालय का नवीन नाम
1	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर	शहीद भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2	ज्ञान ज्योति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर	ज्ञान ज्योति राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3	भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय, नैनवां जिला बूंदी	भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा राजकीय महाविद्यालय, नैनवां जिला बूंदी
4	शहीद रूपाजी करपाजी महाविद्यालय बेंगू जिला चित्तौड़गढ़	शहीद रूपाजी करपाजी राजकीय महाविद्यालय बेंगू जिला चित्तौड़गढ़
5	मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया जिला हनुमानगढ़	मीरा कन्या राजकीय महाविद्यालय, संगरिया जिला हनुमानगढ़
6	श्री प्रेमसिंह सिंघवी महाविद्यालय, छीपाबड़ौद जिला बारां	श्री प्रेमसिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय, छीपाबड़ौद जिला बारां
7	आईमाता महाविद्यालय, सोजतसिटी जिला पाली	आईमाता राजकीय कन्या महाविद्यालय, सोजतसिटी जिला पाली
8	महाराणा प्रताप महाविद्यालय, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़	महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
9	बाबा मोहन राम किसान कॉलेज, भिवाड़ी जिला अलवर	बाबा मोहनराम किसान राजकीय महाविद्यालय, भिवाड़ी, जिला अलवर

यह स्वीकृति प्रशासनिक विभाग के पत्रांक प.6(1)शिक्षा/गुप-3/2020 दिनांक 03.03.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

संदेश नायक, IAS  
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा


क्रमांक: एफ4(162-II)/विधि/आयो/आकाशि/2015-16/1445-1462

दिनांक : 03/03/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित जिला कलक्टर/जिला अधीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3)विभाग को उनके पत्रांक प.6(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2020 दिनांक 03.03.2021 के सन्दर्भ में।
9. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. कुल सचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर/जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/एम.एल. सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/
11. उपविधि परामर्शी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. प्राचार्य, समस्त राजकीय स्नातकोत्तर/स्नातक/विधि महाविद्यालय, राजस्थान।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बून्दी, चित्तौड़गढ़, बारां, अलवर एवं पाली।
14. नोडल प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
15. प्रशासक/अध्यक्ष, प्रबंध समिति, संबंधित महाविद्यालय, राजस्थान।
16. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी./प्रशासन/निजी संस्थाएं/अकादमिक/रूसा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
17. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
18. रक्षित पत्रावली।

  
बी.एल. गायल, RAS  
अतिरिक्त आयुक्त